प्रस्ताव पत्र संख्याः ______

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC)

क्षेत्रीय कार्यालय : 56, राजपुर रोड़ (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड। फोन/फैक्स 0135–2740244, ई मेल–ro.dehradun@aicofindia.com
प्रधान कार्यालय : 13वीं मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

(अऋणी कृषक के लिए प्रस्ताव प्रपत्र–बैंक के द्वारा)

मौसम............................ वर्ष............................	बैंक का नाम :
संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :	शाखा का पता :
भूमि सम्बन्धित विवरण : (खसरा/खतौनी/अन्य दस्तावेज)	फोन नंबर एवं ईमेल :

1. किसान/प्रस्तावक का विवरण :

क्या आप AIC के साथ पंजीकृत है	हाँ/नहीं (यदि हाँ, कृषक आई0डी0 संख्या भरें....................................यदि नही तो पंजीकरण प्रपत्र भरें)								
नाम :	पिता/पति का नाम :		आयु :	लिंग :	जातिः	SC	ST	Others	General
ग्राम/मकान नं. :	पो. :	तहसील :	जिला :		सम्पर्क नं. एवं ईमेल :				
आधार/आ0डी0/पैन न0:		धर्म	कुल भूमिः		कृषक की श्रेणीः लघु/सीमान्त/अन्य				
Nominee:			Relationship:						
बैंक का नाम :	बैंक शाखा का नाम एवं पता :				खाता संख्या :				
बैंक शाखा का IFSC Code:									
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं सम्पर्क न0:									

2. अधिसूचित क्षेत्र का विवरण :

राज्य	जिला	तहसील (पर्वतीय क्षेत्र में तहसील अधिसूचित क्षेत्र है)	न्यायपंचायत (मैदानी क्षेत्र में न्यायपंचायत अधिसूचित क्षेत्र है)
उत्तराखण्ड			

3. बीमा के लिए प्रस्तावित फसल एवं क्षेत्र सम्बन्धित विवरण :

तहसील/ विकासखण्ड	ग्राम	खतौनी/ खसरा/ सर्वे संख्या	भू –स्वामित्व का अधिकार (कास्तकार/बटाईदार/सांझेदार)	फसल	फसल बुवाई की तिथि/प्रस्तावित तिथि	बोया गया क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	अन्य बोई गयी फसलें

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि किसान पंजीकरण फार्म सहित प्रस्ताव प्रपत्र को भरने के पहले मैने योजना के सभी प्रावधानों को अपनी भाषा में भलीभांति पढ़ एवं समझ लिये हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिया गया विवरण सत्य एवं सही है। मैने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दे दी है। मैने बीमित फसल की बुवाई की है/करने का इरादा है। इसके अलावा, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उल्लिखित फसल की बुवाई में परिवर्तन होने पर बैंक/बीमा कम्पनी को सूचित करूँगा और यदि प्रीमियम में कोई अन्तर आता है तो अन्तर की राशि, यदि कोई होती है तो उस राशि के भुगतान करने का वचन देता हूँ। मैने इस मौसम के दौरान उपरोक्त खतौनी/खसरा/सर्वे संख्या पर बोई गयी उल्लिखित फसल के लिए इस बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति अथवा बीमा इंटरमिडीयरिज, और किसी अन्य बैंक शाखा/पैक्स या अन्य किसी बीमा कम्पनी को अन्य कोई फसल बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया है। मैं घोषणा करता हूँ कि योजना में उल्लिखित जोखिमों यथा स्थानीय आपदा(ओलावृष्टि/भूस्खलन/जलप्लावन)/फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिए बिखेर कर रखी गयी फसल में नुकसान (चक्रवात/चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा) होने की स्थिति में 48 घन्टे के भीतर बीमा कम्पनी/सम्बधित बैंक/विभाग को सूचित करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि बीमा कम्पनी एवं इनके हानि निर्धारक की हर तरीके से सहायता करूँगा। मैं समझता हूँ कि बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति के तहत दावों का भुगतान होने पर पालिसी रद्द कर दी जाएगी और आगे कोई दावे का भुगतान नही किया जाएगा।

स्थान : __________ दिनाँक : __________

गवाहः
(अंगूठा के निशान की स्थिति में)

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।

(बैंक द्वारा भरा जायेगा)

अधिसूचित क्षेत्र	फसल	बीमित क्षेत्रफल (हेक्टयर)	बीमित राशि (₹)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)X अनुमोदित ऋण वितमान	(5)	(6) =(4)X(5)
योग					

डी0डी0/चैक नंबर: __________ बैंक का नाम : __________ दिनाँक ; __________ राशि : __________

वैधानिक चेतावनी
छूट में निषेध (बीमा अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान के अनुसार) :–
1. कोई भी व्यक्ति भारत में जान/सम्पत्ति का बीमा कराने/जारी रखने/पुनः चालू करने की इच्छा से प्रलोभन हेतु देय कमीशन में पूर्ण/आंशिक छूट का प्रस्ताव नही रखेगा तथा कोई व्यक्ति बीमा करने वाले की सारिणी अथवा प्रकाशित विवरण पत्रिका के अनुसार दिए छूट के अतिरिक्त कोई भी छूट स्वीकार नहीं करेगा।
2. इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माने के साथ दण्ड दिया जायेगा तथा जुर्माने की राशि रू. पाँच सौ तक हो सकती है।

पावती/Acknowledgement
(पीएमएफबीवाई)

पावती संख्या__________ दिनांक : __________

श्री/श्रीमती ---------------------------------- पुत्र/पत्री/पत्नी श्री ----------------------------------, ग्राम ------------------ न्यायपंचायत ------------------ तहसील ------------------ ब्लॉक ------------------ जिला ------------------ राज्य उत्तराखण्ड के काश्तकार है, जिनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अर्न्तगत मौसम -------------- वर्ष ----------- बीमित फसल ---------------------- बीमित क्षेत्रफल ------------------ बीमित राशि ₹------------------ के आच्छादन हेतु बीमा प्रीमियम राशि के रूप में कृषक प्रीमियम ₹---------------------- (₹ ---------------------------------------) मात्र, नकद/चैक/डीडी संख्या ------------------ दिनांक ---------------- बैंक ------------------ पर देय है, बीमा प्रस्ताव के साथ सधन्यवाद प्राप्त किया।

बीमा आवरण चैक/डीडी की राशि के प्राप्त होने के पश्चात ही प्रभावी होगा।

बैंक शाखा का नाम एवं पता

भविष्य में उपयोग के लिए पावती सुरक्षित रखें

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के नाम/हस्ताक्षर/मुहर)

प्रस्ताव पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश

1. कृपया प्रस्ताव पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरें तथा प्रस्तावक द्वारा संसूचित क्षेत्रवार सभी फसलों के लिए एक ही प्रस्ताव पत्र भरा जाएगा। यदि कृषक का संसूचित क्षेत्र अलग–अलग है तो प्रस्ताव पत्र भी अलग–अलग भरा जाएगा।

2. प्रस्ताव पत्र को सभी दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से भरे । प्रस्ताव पत्र में प्रस्तावक के द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा सम्बंधित उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न किए जायेंगें।

3. बीमा परम सद्भाव (Utmost Good Faith) का अनुबंध है जिसमें बीमित कृषक को सभी आवश्यक तथ्य घोषित करने होते हैं तथा कोई भी आवश्यक तथ्य छुपाना नहीं चाहिए। यदि आप सोचते है कि कोई भी तथ्य आवश्यक है, तो कृपया प्रस्ताव पत्र में अवश्य उल्लिखित करें।

4. प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में, कोई असत्य अथवा गलत विवरण, मिथ्याख्यापन या किसी आवश्यक सूचना को छुपाने की दशा में बीमा निरस्त कर दिया जाएगा।

कृपया प्रस्ताव पत्र में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेन्श कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (बीमा कम्पनी) के कार्यालय अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से सम्पर्क करें।

नोटः एग्रीकल्चर इंश्योरेन्श कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ए0आई0सी0) का दायित्व तब तक शुरू नहीं होता, जब तक कि ए0आई0सी0 ने प्रस्ताव पत्र स्वीकार न किया हो तथा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान न हुआ हो।

——नियम एवं शर्तें——

1. पीएमएफबीवाई के अंतर्गत आच्छादन, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशो और राज्य सरकार द्वारा संबन्धित मौसम के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार सख्ती से होगा।
2. प्रस्तावक द्वारा संसूचित क्षेत्रवार सभी फसलों के लिए एक ही प्रस्ताव पत्र भरा जाएगा। यदि कृषक का संसूचित क्षेत्र अलग–अलग है तो प्रस्ताव पत्र भी अलग–अलग भरा जाएगा।
3. प्रस्तावक द्वारा सभी तथ्यों का खुलासा किया जायेगा। कोई विसंगति का बाद मे पता चलने पर बीमा कवर रद्द और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों यथा बीमित फसल, बीमित मौसम, अधिसूचित बीमित क्षेत्र और बीमा हित शामिल होंगे लेकिन केवल इन तथ्यों की प्रासंगिकता तक ही सीमित नही होंगे।
4. बीमा कंपनी इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार रखती है यदि प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर नही है/पूरी तरह से भरा नहीं गया है/बीमाहित के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न या कृषक प्रीमियम की हिस्सेदारी का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।
5. बीमा अच्छादन को रद्द किया जा सकता है, यदि किसी भी समय यह पाया गया :
   क) कि किसान ने अपने जमीन से अधिक क्षेत्र का बीमा कराया है।
   ख) कि खसरा संख्या में एक ही जमीन पर विभिन्न बैंकों/शाखाओं/सोसाइटी से ऋणी के साथ–साथ गैर–ऋणी किसान के रूप में बीमा लिया है या अधिसूचित/बीमित फसल की तुलना में कोई अन्य फसल की बुवाई की गई हो।
   (बिना किसी जाँच के अधिकार पुर्वधारना के उपरोक्त मामलो में प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा। जाँच के परिणाम के अनुसार ही बीमा का जोखिम, लागत, और अच्छादन में बदलाव किया जाएगा)
6. प्रस्तावक फसल, बुवाई क्षेत्रफल, बैंक खाते और बीमा हित में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा, अन्यथा बिंदु 3 का पालन करेंगे।
7. यदि बीमित क्षेत्र बुवाई क्षेत्र की तुलना में अधिक है तो बीमा कंपनी के पास खुद या दूसरों के माध्यम से जांच करके दावे को उसी अनुपात में कम करने का अधिकार होगा। प्रस्तावक इस योजना में उल्लिखित नुकसान स्थानीय आपदा(ओलावृष्टि/भूस्खलन/जलप्लावन)/फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के मामले में घटना के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करने का वचन देता है।
8. प्रस्तावक बीमा कंपनी और हानि निर्धारक की हर प्रकार से सहायता के लिए भी उत्तरदायी है।
9. बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति के तहत दावे के भुगतान के बाद पालिसी रद्द मानी जायेगी और आगे किसी भी प्रकार के दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. दावे (यदि कोई हो) के समय यदि जरुरी हो तो बीमित व्यक्ति को पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
11. प्रस्तावक दावे के भुगतान से पहले चुकौती प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का वचन देता है।